भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 694

उत्तर देने की तारीख 21.07.2022

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत संपार्श्विक मुक्त ऋण

694. **श्री पी.वी. मिधुन रेड्डीः**
श्रीमती चिंता अनुराधाः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले एक लाख रुपये के संपार्श्विक मुक्त ऋण को दो लाख रूपये तक बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार परियोजना लागत पर पन्द्रह प्रतिशत की सब्सिडी को पूर्वोत्तर क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के समतुल्य आंध्र प्रदेश में भी 15000 रूपये तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (घ): पूर्व में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोज़गार योजना (पीएमआरवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा था और दिनांक 01.04.2008 से इसे बंद कर दिया गया। एक नई स्कीम नामतः प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) निरुपित की गई और दो रोज़गार सृजन स्कीमों अर्थात पीएमआरवाई और ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) का विलय करके वर्ष 2008-09 से इसे संचालित किया गया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) पीएमईजीपी के लिए एकल राष्ट्रीय स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी है। राज्य स्तर पर इस स्कीम का कार्यान्वयन केवीआईसी, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) और कयर बोर्ड (कयर इकाइयों के लिए) द्वारा किया जा रहा है।

पीएमईजीपी के अंतर्गत, विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत 50 लाख रु. और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 20 लाख रु. तक की अधिकतम परियोजना लागत की वित्तीय सहायता (ऋण) स्वीकार्य है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% की मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। एससी/एसटी/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाओं/ट्रांसजेंडर/भतपूर्व सैनिक/दिव्यांग/पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी, सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों आदि जैसी विशेष श्रेणियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुदेशों के अनुसार एमएसएमई के लिए 10.00 लाख रु. तक संपार्श्विक मुक्त ऋण का प्रवधान है। तदनुसार, पीएमईजीपी स्कीम दिशानिर्देशों में भी प्रावधान किया गया है कि "पीएमईजीपी के अंतर्गत एजेंसियों द्वारा बैंकों को अग्रेषित किए गए 10 लाख रु. तक ऋण वाली परियोजनाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा किसी संपार्श्विक प्रतिभूति की मांग नहीं की जाएगी"।

पीएमईजीपी स्कीम आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश भर में लागू है।

*****